प्राथमिकता

संख्या 2380/26-3-80-7(21)-80

प्रेषक,

जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक: लखनऊ, 10 सितम्बर, 1980

विषय:--उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 तथा क्षेत्रीय विकास विभाग के अभिकरणों द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये चलायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण को सम्बद्ध किया जाना ।

हरिजन एवं
ाजकल्याण
नुभाग-3

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने छठीं पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास हेतु वृहद-लक्षित कार्यक्रम निर्धारित किये हैं । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान की दिशा में उ0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है । उक्त निगम अपनी अंशपूंजी से 6000 रु0 तक की अनावर्तीय पूंजी लागत की योजनाओं में संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिये योजना की लागत का 25 प्रतिशत से 33-1/3, प्रतिशत तक मार्जिन मनी ऋण के रूप में अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों को उपलब्ध कर सकता है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,500 रु0 तथा शहरी क्षेत्रों में 4,300 रु0 से अधिक न हों । प्रदेश सरकार द्वारा निगम को प्रति वर्ष निश्चित धनराशि दी जाती है जिससे वह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि/बागवानी तथा उद्योग धन्धों के लिये अनुदान स्वीकृत करता है ।

2--आप अवगत हैं कि क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण (आई0 आर0 डी), लघु कृषक विकास अभिकरण (एस0 एफ0 डी0 ए0) तथा सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास अभिकरण (डी0 पी0 ए0 पी0) के माध्यम से लघु कृषकों सीमान्त कृषकों, कृषक मजदूरों तथा गैर कृषक मजदूरों को सामान्यतः कुल प्रोजेक्ट के व्यय का 25 प्रतिशत से 33 1/3 प्रतिशत तक या 3,000 रु0 की सीमा तक, अनुदान अनुमन्य है । उपरोक्त योजनाओं में यह प्रावधान है कि कुल लाभान्वित होने वाले परिवारों में से कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हों, तथा कुल वितरित अनुदान में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/जनजाति को दिया जाय ।

3--दोनों दशाओं में यह अनुभव किया गया है कि लाभार्थी को बैंकों से शेष धनराशि का ऋण प्राप्त करने में असुविधा होती है क्योंकि बैंक इन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने में अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते । अतः उपरोक्त विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरान्त लाभार्थियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा क्षेत्रीय विकास अभिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं का समन्वय कर दिया जाय तथा अनुदान को मार्जिन मनी ऋण से सम्बद्ध कर दिया जाय जिससे कि पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के कार्य-क्रमों में एक रूपता आ जाय ।

4--अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि पैरा-1 में उल्लिखित वर्ग के अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में:--

(1) जिन विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास अभिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत किया जाय, वहां लाभार्थी को निगम द्वारा मार्जिन मनी--ऋण पूंजी लागत का 33-1/3 प्रतिशत तक इस प्रकार स्वीकृत किया जाय कि अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण मिलाकर प्रोजेक्ट की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(2) ऐसे क्षेत्रों में जिनमें उपरोक्त अभिकरणों द्वारा दिये जाने वाला अनुदान अनुमन्य नहीं है, निगम प्रोजक्ट की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 3000 रु0 तक, जो भी कम हो, अनुदान उपलब्ध करेगा तथा लागत के 331/3 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ऋण इस प्रकार स्वीकृत किया जायगा कि अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण मिलाकर प्रोजेक्ट की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक न हो । निगम द्वारा उन सभी वायबिल योजनाओं के लिये अनुदान दिया जायगा जो उपरोक्त अभिकरणों द्वारा अनुमन्य है और अनुदान वितरण की प्रक्रिया, शत तथा नियम वही होंगे जो उपरोक्त अभिकरणों पर लागू हों ।

(3) पूरे प्रदेश में सामान्य रूप से तथा उन क्षेत्रों में विशेष रूप से, जिनमें निगम को अकेले कार्य करना है वहां ग्राम्य विकास विभाग/क्षेत्रीय विकास विभाग/पंचायती राज विभाग के फील्ड स्तर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों क लिये उपरोक्त योजना का त्वरित तथा प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निगम को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई शासन द्वारा गम्भीरता से देखी जायेगी।

उपरोक्त आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त तथा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।

संख्या 2380(1)/26-3-80, -7(21)-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि:--

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 (10 प्रतियां) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या जी0एम0 (आई0एफ0)-31-79, दिनांक 22-7-80 संख्या 677, दिनांक 4-8-80 तथा जी0 एम0 (आई0एफ0)-31-79, दिनांक 5-8-80 के सन्दर्भ में निम्न अभ्युक्तियों के साथ प्रेषित:--

(अ) उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ब) 6000 रु0 से अधिक की अनावर्ती पूंजी लागत की योजनाओं में अंशपूंजी का उपयोग वर्जित है तथा ब्याज अनुदान की व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को स्वीकार्य नहीं है।

(स) निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण/अनुदान के पात्र केवल ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी ने अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया हो। किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में मान्यता नहीं होगी।

(द) इस वर्ष के अनुदान तथा अंशपूंजी के प्राविधानों को मिलाकर निगम के पास पांच करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी। अतः निगम से यह अपेक्षित है कि वह त्वरित गति से कार्य प्रारम्भ कर दें जिससे चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक यथा सम्भव समस्त धन का उपभोग कर लिया जाय।

(क) प्रस्तावित 63 लाख रु0 की धनराशि को उसी प्रकार अनुदान के रूप में उपभोग किया जाय जिस प्रकार उपरोक्त आदेश में निर्देशित है एवं जिस प्रकार स्पशल सेन्डूल अस्टिेन्स में अनुबन्ध होगी।

(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

(7) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को व्यापक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।

संख्या 2380 (2)/26-8-80,-7(21)-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, सचिव भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली को शासन के पत्र संख्या 4229/26-3-80-4 (67)-78, दिनांक 16-8-80 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह निगम के द्वारा अंशपूंजी से सीधे ऋण दिये जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

आज्ञा से,

जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।